चुनाव आवश्यक

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (सामान्य निर्वाचन), बैतूल

रबर सील निविदा सूचना

क्र0 /वि.स.नि./निविदा/2018/732 बैतूल, दिनांक 25/08/2018

आगामी विधानसभा निर्वाचन, 2018 एवं लोक सभा निर्वाचन, 2019 के संचालन के दौरान जिले की पॉच विधानसभाओं के लिए सुभेदक मोहर, (गोल सील), एवं अन्य कार्यालयीन उपयोग हेतु इच्छुक संस्था /व्यक्ति से रबर सील कार्य के लिए निविदाएँ दिनांक 05.09.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निम्नांकित शर्तों पर आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सायंकाल 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी :–

निविदा की शर्तें

1. निविदा कार्यालयीन समय (अवकाश दिवस को छोड़कर) में जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा के सील बंद लिफाफे पर निर्वाचन रबर सील हेतु निविदा लाल स्याही से अंकित होना तथा निविदाकार का पूर्ण डाक का पता एवं मोबाइल नम्बर सहित अंकित होना आवश्यक है।
2. निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में राशि रू. 5,000/–(रू0 पांच हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट / राष्ट्रीय बचत पत्र द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल के पक्ष में जमा की जाना आवश्यक है। बिना प्रतिभूति राशि जमा किये प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाावेगा।
3. निविदा की सामग्री आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर पर तैयार करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा। सामग्री के तैयार करने का आदेश प्राप्त होने पर समायावधि में तैयार कर उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
4. निविदाकार को आयकर का पेन नंबर, जी.एस.टी. पंजीयन, आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदादाता श्रम विभाग में दुकान स्थापना के अंतर्गत जीवित पंजीयनधारी होना चाहिए।
6. निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किया गया या बीच में कार्य छोड़ा गया तो उनके बाद वाले निविदादाता से कार्य कराया जावेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
7. निविदादाता का देयक परीक्षण एवं ऑडिट अनुमोदन उपरांत स्वीकृत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल द्वारा प्रदत्त आवंटन के अनुसार भुगतान किया जावेगा, जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। भुगतान करते समय शासन नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के करों की कटौती की जावेगी।
8. निविदादाता किसी भी संस्था/कार्यालय से ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। यदि बाद में यह जानकारी मिलती है कि निविदादाता ने तथ्य छिपाया है, तो उसकी राशि राजसात कर ली जावेगी।
9. निविदा इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर स्वीकार्य होगी।

10. कलेक्टर द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा।
11. किसी भी वाद विवाद में कलेक्टर बैतूल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. निविदा स्वीकृत /अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल को रहेगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार के औचित्य एवं कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–बैतूल

पृ0क्र0 /वि.स.नि./निविदा/2018/732A बैतूल, दिनांक 25/08/2018

प्रतिलिपि,

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल।
2. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद।
3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त (म0प्र0)।
4. अपर संचालक (विज्ञापन शाखा) जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, बाणगंगा मार्ग, भोपाल की ओर सूचनार्थ। उक्त निविदा का प्रकाशन राज्यस्तरीय दो समाचार पत्रों में कराकर प्रकाशित सामाचार पत्र की मूल कटिंग इस कार्यालय को प्रेषित करें।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतल।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला बैतूल।
7. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषद, समस्त जिला बैतूल।
8. तहसीलदार, समस्त, जिला बैतूल।

   कमांक 05 से 8 तक की ओर भेजकर लेख है कि उक्त सूचना अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर आम जनता हेतू चस्पा करायें।
9. उप संचालक, जनसंपर्क कार्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ। स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
10. मेसर्स ....को सूचनार्थ।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–बैतूल